Lt. DARAN BAI TARAM GOVERNMENT COLLEGE GURUR

Student Induction Program (SIP)

For B.Com. I Semester Students

Date 13.08.2025

Well Come All Students

Organized By

IQAC

Lt. Daran Bai Taram Government College Gurur

महाविद्यालय का परिचय

Core Values of College (बुनियादी मूल्य)

01. Unity and Integrity (एकता और अखंडता)
02. Love and Peace for Everyone (सबके लिए प्यार और शांति)
03. Learning (सीखना)
04. Quality (गुणवत्ता)
05. Team Spirit (टीम भावना)
06. Responsibility (जिम्मेदारी)
07. Dedication (समर्पण)
08. Mutual Respect (आपसी सम्मान)
09. Transparency (पारदर्शिता)
10. Optimism (आशावाद)
11. Continuous Improvement (निरंतर सुधार)

महाविद्यलाय का परिचय

◄ महाविद्यालय का प्रतीक चिन्ह (Logo) ►

आदर्श वाक्य (Motto)

विद्यां ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम्।
पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम्॥

हिन्दी भावार्थः

विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता (योग्यता) से धन आता है, धन से धर्म और धर्म से से सुख की प्राप्ति होती है।

महाविद्यलाय का परिचय

- **नाम - स्व. डारन बाई तारम शासकीय महाविद्यालय गुरूर**
- **प्राचार्य - प्रो. के.एल. रावटे, प्रभारी प्राचार्य**
- **विज्ञान संकाय प्रभारी - प्रो.** जी. एस देवॉगन **, सहा.प्राध्यापक** वाणिज्य
- वणिज्य **संकाय में सहायक कर्मचारी**
- अन्य सहायक कर्मचारी – श्री पौषार्य (सहायक ग्रेड 01) श्री भुवन लाल ध्रुव (सहायक ग्रेड 02) सुश्री अनिसा परदेशी, ताम्रध्वज सिन्हा (कम्प्यूटर सहायक) श्री हेमेन्द्र चौधरी (स्पोर्ट्स सहायक) श्री शत्रुघन यादव (सफाई कर्मचारी) श्रीमती डेमीन बाई (सफाई कर्मचारी)

वाणिज्य संकाय के प्राध्यापक

महाविद्यालय का परिचय

- अन्य **संकाय के प्राध्यापकगण -**

DR. MOHAN KUMAR
PHD (HISTORY)
HISTORY
GUEST LECTURE

MR. HARISHANKAR DIWAN
M.A, M.PHIL
ENGLISH
GUEST LECTURER

MISS SUMAN SAHU
M.A.(HINDI), B.ED., NET, SET, PH.D. RUNNING
HINDI
GUEST LECTURER

DR. AJAY SAROJ
M.A., M.PHIL, PH.D., NET WITH JRF
HINDI
GUEST LECTURER

DEEPESH KUMAR BARSEL
M.SC., NET, CGSET
CHEMISTRY
ASSISTANT PROFESSOR

MR. L. HIRWANI
M.SC. , M.PHIL, CG-SET
PHYSICS

DEVENDRA KUMAR RATRE
M.SC SET QUALIFIED
MATHEMATICS
ASSISTANT PROFESSOR

T.S. SAHU
M.SC., CG-SET, B.ED.
BOTANY
ASSISTANT PROFESSOR

महाविद्‌यालय का परिचय

- **अन्य प्राध्यापकगण -**

DR. YOGENDRA KUMAR DHURVE
MA , M.PHIL, PH.D, NET-2007
POLITICAL SCIENCE
ASSISTANT PROFESSOR

MR. SNEYAL JOSHI
M.A. , UGC- NET , SET
GEOGRAPHY
ASSISTANT PROFESSOR

ROHIT KUMAR SORI
M.A. GEOGRAPHY, M.PHIL, SET,
B.ED. M.ED
GEOGRAPHY
ASSISTANT PROFESSOR

SEEMA SAHU
M.A. GEOGRAPHY
GEOGRAPHY
GUEST LECTURE (JBS)

MISS TEENA DEWANGAN
MCA
COMPUTER SCIENCE
GUEST LECTURER SELF FINANCE

MRS. PRAGYA KORPE
M.SC.(ZOOLOGY), M.PHIL
(ZOOLOGY), CGSET - 2018
ZOOLOGY
ASSISTANT PROFESSOR

MISS KAMLA
M.A. POLITICAL SCIENCE
POLITICAL SCIENCE
GUEST LECTURE (JBS)

Syllabus

- Go to College Website www.gcgurur.org.in

Students Section

Syllabus

B.Com.

Examination

- **Internal Examination –**

  Theory Paper and Practical Paper

  Internal Marks will be added in Annual Examination

- **Annual Examination –**

  Practical Paper

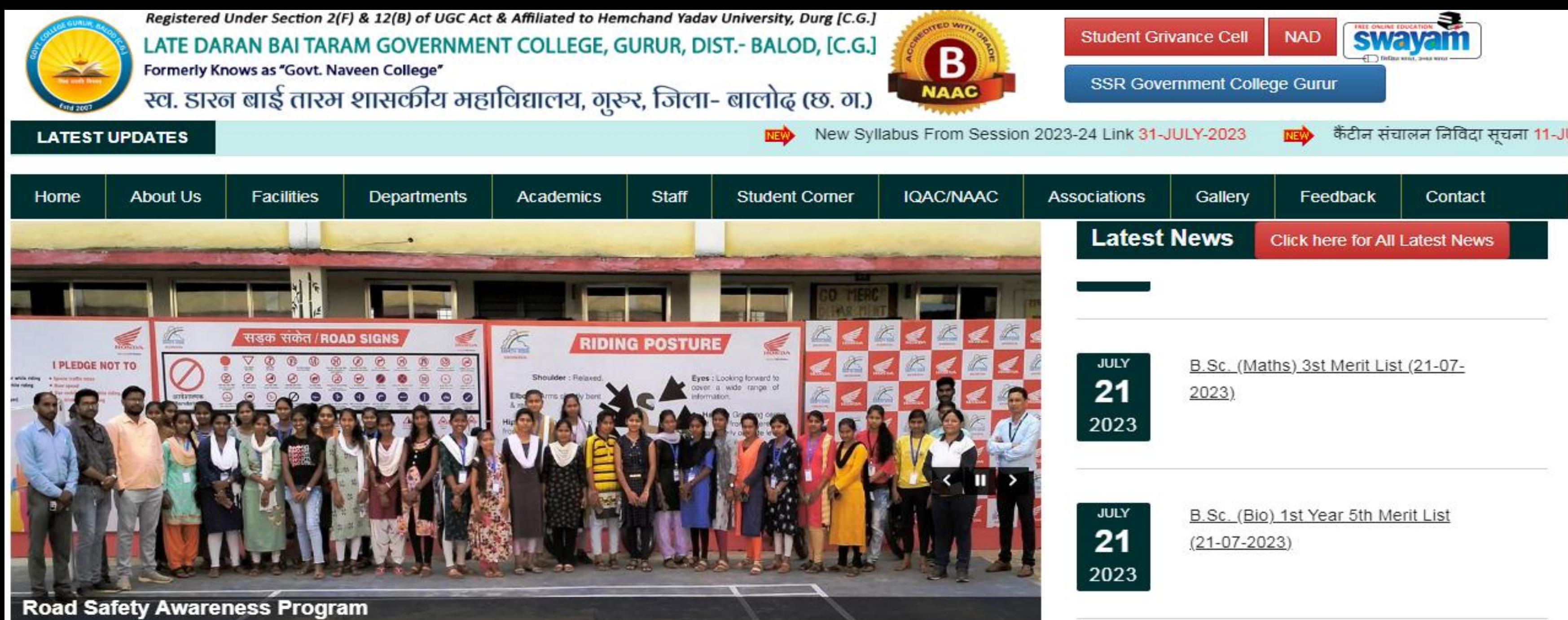

Time Table

- **Academic Calendar** – College Academic Calendar
- **Class Time Table** – College Time 07:30 AM to 02:30 PM
- **Internal Exam Time Table** – For All Theory and Practical Subject.
- **Practical Time Table** – For All Practical Subject.
- **Annual Examination Time Table** – By Parent University

Extra-Curriculum Activities

- **National Services Scheme (NSS)**
- **Red Cross & Red Ribbon**
- **Sports**

Other Activities

- **Field Trips/Visit .**
- **Guest Lecture/Workshop/ Exhibition .**
- **Awareness Program.**
- **Experiential Learning –**

  Practical Work, Demonstration, Explaining Model, Known the apparatus, Project Work etc.
- **Participative Learning –**

  Student Survey, Debate, Essay Writing, Quiz, Group Discussion, Poster Presentation, Student Seminar with PPT, Student Seminar with Green Board and Chock, Reuse of Waste Crafts, Science Day celebration, Arts Day Celebration, Commerce Day Celebration, National and International Day Celebration etc.
- **Problem Solving –**

  Tutorial Classes, Doubt Classes, Revision Classes, Tutor-ward Problem Solve etc.

Facilities

- **Library –** Books, Daily News Paper, Monthly Magazine, Rojgar Niyojan, Employment News.
- College Magazine (From this Year)
- Study Room.
- ONOS Membership
- Girls Common Room.
- Sanitary Napkin (Rs. 05)
- **Sports Facilities –** Gym, Goods and Play ground.
- Lab Facilities.
- Free Wi-Fi
- NLIST – Membership
- Botanical Garden
- Green zone
- Canteen
- CCTV Security

Our Students related Committees

- IQAC – Prof. G.P. Dewangan
- Student Union – Prof. R.K.Sori
- NSS – Prof. R.K. Sori
- Red Cross – Prof. D.K. Barsel
- Sports – Prof. Y.K.Dhurve
- Women Grievance Redressal Cell – Prof. P. Korpe
- Grievance Redressal Cell – Prof. K.L.Rawte
- Discipline Committee - Prof. Y.K.Dhurve
- Anti-ragging Committee - Prof. P. Korpe
- ST/SC/OBC/Minority & Scholarship Cell – Prof. D.K. Ratre

Students Code of Conduct

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम :-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेषभूषा में महाविद्यालय में आवेगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नही होना चाहिए ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा ।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नही करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने प्राध्यापकों , अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा ।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।
7. महाविद्यालय में इधर उधर थूकना दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है । असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन, आन्दोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नही करेगा । विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों , कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा ।
9. विद्यार्थी महाविद्यालय के सामग्रियों को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाने का प्रयास नही करेगा । यदि ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

Students Code of Conduct

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जावेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जावेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र में तथ्यों को छिपावेगा अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जावेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और वह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

रैगिंग

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है । इस संबंध में ''छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001 '' पारित किया गया है जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है । इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

परिभाषा :-रैगिंग से अभिप्राय है कि है किसी छात्र/छात्रा द्वारा मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से रोकना, आपराधिक, दोषपूर्ण, अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उससे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी , दोषपूर्ण, अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल के प्रयोग ।

रैगिंग का प्रतिषेध :-किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र/छात्रा प्रत्यक्षः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नही लेगा ।

अपराधों का विचारण :-

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा

छात्र/ छात्रा के निष्कासन के लिए निर्योग्यता :-

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधिन अपराध के लिए अभियुक्त छात्रा को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा ।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र / छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा ।

ऐसे छात्र /छात्रा जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

Thank You.......

Feedback – Fill It

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6FmCA1StZr7rjkNFeZFwgnQvLrv46UV7DBEB8PIMMdEWofQ/viewform?usp=header

IQAC

Lt. Daran Bai Taram Government College Gurur